सिंचाई योजनाएं
(भारत सरकार)

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

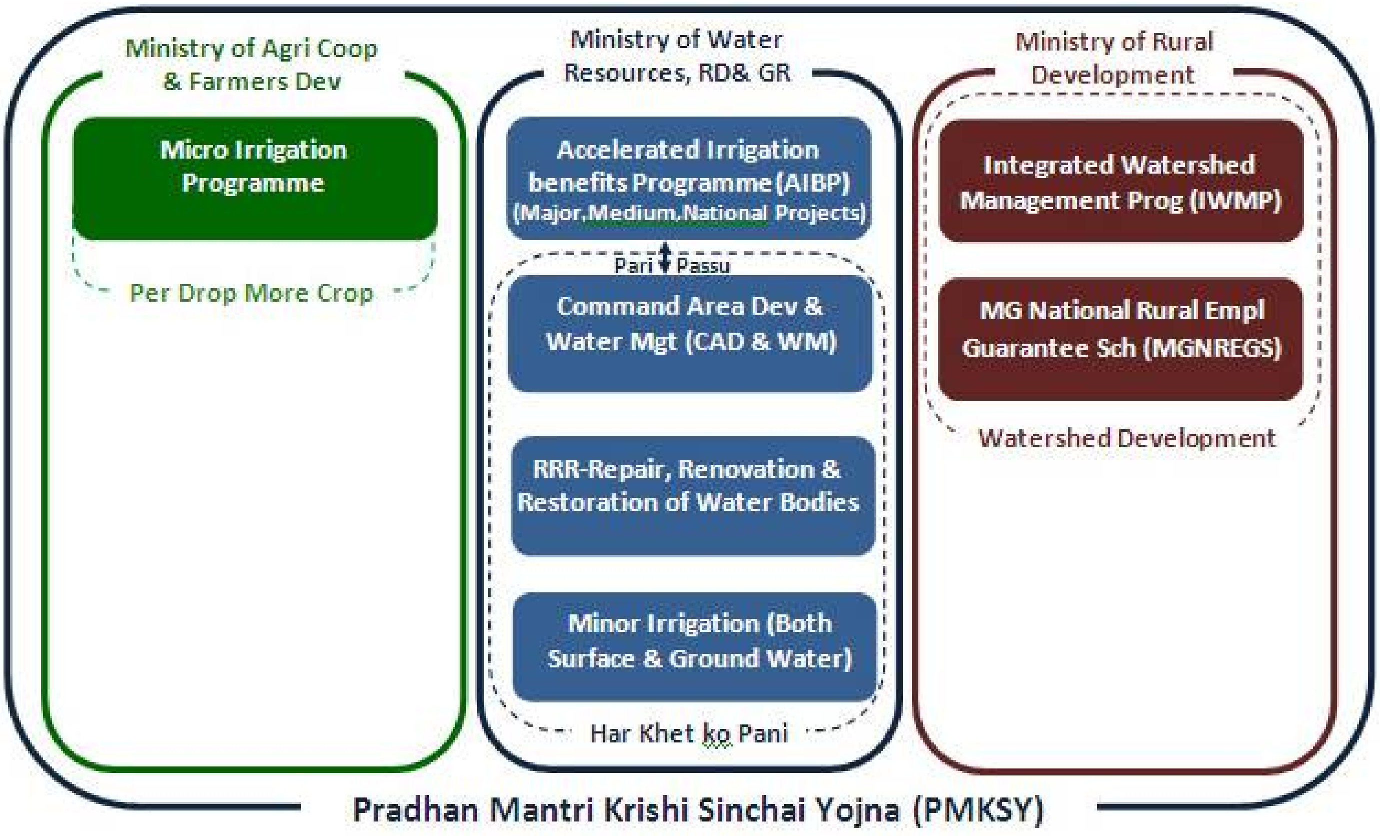

- जुलाई २०१५ में शुभारंभ
- हर खेत (हर खेत को पानी) और अधिक उत्पादकता (प्रति बूँद अधिक फसल) को सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री की पहल
- PMKSY के पास ३ केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत ४ घातक हैं
    1. AIBP - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
    2. हर खेत को पानी (CADWM, RRR एवं लघु सिंचाई) - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
    3. प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)- कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय
    4. जलविभाजन विकास (IWMP and MGNREGS)- ग्रामीण विकास मंत्रालय

- PMKSY की विस्तृत जानकारी के लिए

- प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) की जानकारी के लिए

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- १९९६-९७ में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- कार्यान्वयन सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए।
- चल रही तथा नयी प्रमुख और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
- विशेष श्रेणी के राज्य / क्षेत्र की लघु सिंचाई परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है।
- परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश मंजूरी और पूर्ण होने के 4 साल होने चाहिए।
- पारी पासु (एक साथ) सीएडी कार्यान्वयन अनिवार्य है।
- परियोजना लागत का २५% से ९०% का अनुदान।
- कुल व्यय लगभग रू ६४९०५.६५ करोड़।
- लगभग २९७ परियोजनाओं को लाभ हुआ, जिसमें से १४३ पूर्ण हुई।
- ८ मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण।

(स्त्रोत - जल एवं सम्बंधित आंकड़े, के.ज.आ, २०१५)

कमान क्षेत्र विकास (सीएडी)

- सिंचाई संभावित उपयोग में सुधार के लिए १९७४ में शुरू हुआ।
- इसमें क्षेत्रीय नाली, खेत में नाली, भूमि स्तर, भूमि एकीकरण, उपयुक्त फसल पद्धति, किसान की भागीदारी आदि शामिल हैं।
- परियोजना लागत के ५० से ७५ % का वित्तपोषण।
- २२.९ लाख हेक्टेयर क्षेत्रीय नाली एवं खेत नाली।
- करीब रु ५९५३.१४ करोड़ जारी किये गए।
- १२वीं पंच वर्षीय योजना आवंटन – ७.६ लाख हेक्टेयर को सम्मलित करने के लिए रु १५ ,००० करोड़ रुपये।

(स्त्रोत - जल एवं सम्बंधित आंकड़े, के.ज.आ, २०१५)

विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम)

- तकनीकी प्रगति के कारण परियोजनाओं को लाभ देने के लिए।
- १० साल या उस से पुरानी परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
- इसमें हेड वर्क्स, वितरण प्रणाली और कमान क्षेत्र विकास शामिल हैं।
- परियोजना लागत का ९० % तक वित्तपोषण।
- १७१ परियोजनाएँ पूरी हुईं।
- ६४ परियोजनाएँ अभी चालू हैं।

(स्त्रोत - जल एवं सम्बंधित आंकड़े, के.ज.आ, २०१५)

जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (आरआरआर)

- २००५ मे शुरू की गई।
- पारंपरिक सिंचाई स्रोत तालाब, झीलों, टैंक आदि के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना के लिए।
- जल स्त्रोत (५ हेक्टयर ग्रामीण २ हेक्टयर शहरी)
- परियोजना लागत का ९०% तक वित्तपोषण।
- ३३४१ जल निकाए सम्मालित
- १७३६ जल निकाए पूरे किए गए।
- रु ८५२.३ करोड़ का वित्तपोषण।

(स्त्रोत - जल एवं सम्बंधित आंकड़े, के.ज.आ, २०१५)

राष्ट्रिय परियोजनाएँ

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए XII योजना में स्वीकृत।
- विशेष और गैर विशेष श्रेणियों के राज्यों के क्रमशः ९० % और ७५ % सिंचाई और पीने के पानी के लिए अनुदान।
- अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के महत्व, लंबित अंतर-राज्य परियोजनाएं, २ लाख हेक्टेयर या उससे अधिक की सिंचाई क्षमता की अंतर-राज्य परियोजनाएं, २ लाख हेक्टेयर या उससे अधिक की सिंचाई क्षमता बहाल ईआरएम परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए माना जाता है |
- १६ राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, ४ निष्पादन के तहत हैं।
- सभी राष्ट्रीय परियोजनाएं पर के. ज. आ. द्वारा निगरानी राखी जाती है |

(स्त्रोत - जल एवं सम्बंधित आंकड़े, के.ज.आ, २०१५)

अगला अध्याय >>
सिंचाई छेत्र मे आने वाली बाधाएँ